

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०-66/2005-(खण्ड-I)

/क०, पटना, दिनांक

सितम्बर, 2014.

प्रेषक,

विनय कुमार, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स सिन्जेन्टा इण्डिया लि०,
द्वारा-मेसर्स एच० आर० ट्रान्सपोर्ट,
C&F एजेन्ट, महात्मा गाँधी सेतु रोड,
(सम्राट पेट्रोल पम्प के नजदीक),
मौजा-कुम्हरार, थाना-अगमकुआँ,
पटना-7

क० क०
आगत नं० 1877
दिनांक 30.7.14

विषय :- **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-84-85, दिनांक 16.09.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित कम्पनीयों के कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-84-85 दिनांक 16.09.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स सिन्जेन्टा इण्डिया लि०	Propiconazole 25% EC
2		Difenoconazole 25% EC
3		Mandipropamid 23.4% SC
4		Azoxystrobin 23% SC
5		Lamda-Cyhalothrin 4.9% CS
6		Difenoconazole 3% WS
7		Propiconazole 13.9%+Difenoconazole 13.9% EC
8		Copper oxychloride 50% WP
9		Su;phur 80% W/W
10		Palcobutrazole 23% W (25% W/V) SC
11		Thiamethoxam 12.6%+lambda-Cyhalo thrin 9.5% ZC
12		Pymetrozine 50% WG
13	मेसर्स बायोस्टाड इण्डिया लि०	Propiconazole 25% EC
14	मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इण्डिया) प्रा० लि०,	Flubendiamide 39.35% SC

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स सिन्जेन्टा इण्डिया लि०, द्वारा-मेसर्स एच० आर० ट्रान्सपोर्ट, C&F एजेन्ट, महात्मा गाँधी सेतु रोड, (सम्राट पेट्रोल पम्प के नजदीक), मौजा-कुम्हरार, थाना-अगमकुआँ, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।


6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(विनय कुमार)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4155 /कृ0, पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2014
प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(a)